



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 733]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 21, 2016/आश्विन 29, 1938

No. 733]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 21, 2016/ASVINA 29, 1938

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 2016

सा.का.नि. 994(अ).—चूंकि वायुयान नियम, 1937 में और आगे संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 14 की अपेक्षानुसार भारत सरकार नागर विमानन मंत्रालय की तारीख 26 अगस्त, 2016 की अधिसूचना सं. सा.का.नि 833 (अ) के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया, जिसे ऐसे सभी व्यक्तियों जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, से राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए भारत के राजपत्र की प्रतियां सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई गई;

और चूंकि उक्त अधिसूचना में प्रकाशित राजपत्र की प्रतियां 30 अगस्त, 2016 को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा दी गई थी;

और चूंकि विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर प्रारूप नियमों के संबंध में प्राप्त आक्षेप, या सुझावों पर विचार किया गया है;

अतः, अब केंद्रीय सरकार, उक्त वायुयान अधिनियम की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार वायुयान नियम, 1937 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1.(क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (छठा संशोधन) नियम, 2016 है।

(ख) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वायुयान नियम, 1937 में, नियम 88क के पश्चात्, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“88ख क्षेत्रीय हवाई संपर्कता फंड.-केंद्रीय सरकार क्षेत्रीय हवाई संपर्कता को बढ़ावा देने या उससे संबंधित किसी अन्य प्रयोजन के लिए वायुयान प्रचालकों को अन्तराल व्यवहार्यता निधियन प्रदान करने के प्रयोजन से क्षेत्रीय हवाई संपर्कता निधि की स्थापना कर सकेगी और उक्त निधि का प्रबंध और उपयोग केंद्रीय सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट रीति से किया जाएगा।

88ग क्षेत्रीय हवाई संपर्कता लेवी- क्षेत्रीय हवाई संपर्कता निधि के निधियन के लिए केंद्रीय सरकार भारत के भीतर प्रचालित हो रही अनुसूचित उड़ानों पर ऐसे दर से लेवी उद्ग्रहीत कर सकेगी जिसे केन्द्रीय सरकार अनुसूचित उड़ानों के लिए प्रयुक्त विमान की सीटिंग क्षमता और ऐसे मार्ग जिन पर ऐसी उड़ानें प्रचालित हैं और क्षेत्रीय हवाई संपर्कता निधि की समग्र आवश्यकता, के संबंध में समय समय पर अधिसूचना जारी कर सकेगी।

(2) हिताधिकारी राज्य सरकारों द्वारा क्षेत्रीय हवाई संपर्कता निधि में उस रीति और अनुपात में भी अंशदान किया जा सकेगा, जो केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे।

(3) क्षेत्रीय हवाई संपर्कता निधि में अंशदान किसी अन्य स्रोत जो केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे, से क्रेडिट आगम के द्वारा भी किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण. नियम 88ख और 88ग के प्रयोजनों के लिए, “क्षेत्रीय हवाई संपर्कता” की अभिव्यक्ति भारत में दो हवाई अड्डों के बीच विमान परिवहन सेवा के प्रचालन से अभिप्रेत है जिसमें से कम से कम एक हवाई अड्डे को केंद्रीय सरकार द्वारा असेवित या कम सेवित घोषित किया गया हो।”

[फा. सं. एवी.11012/8/2016-ए]

अरूण कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम तारीख 23 मार्च, 1937 की अधिसूचना सं. वी-26 द्वारा सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, के असाधारण, भाग II, खंड (3), उप-खंड (i) में तारीख 8 अक्टूबर, 2016 को सा. का. नि. 977 (अ) तारीख 5 अक्टूबर, 2016 द्वारा किए गए।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 2016

G.S.R. 994(E).—Whereas the draft of certain rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, was published, as required by section 14 of the Aircraft Act, 1934 (XXII of 1934), vide notification of the Government of India in the Ministry of Civil Aviation, published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, sub-section (i), vide number G.S.R. 833(E), dated 26th August, 2016, for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India in which the said notification was published, were made available to public;

And whereas copies of the Gazette in which the said notification was published were made available to the public on the 30th August, 2016;

And whereas objections or suggestions received in respect of the draft rules within the period specified have been taken into consideration;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 5 of the said Aircraft Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, namely:—

1. (a) These rules may be called the Aircraft (Sixth Amendment) Rules, 2016.
- (b) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Aircraft Rules, 1937, after rule 88A, the following shall be inserted, namely:—

“88B. Regional Air Connectivity Fund.-The Central Government may establish the Regional Air Connectivity Fund for the purpose of providing viability gap funding to aircraft operators to promote regional air connectivity, or for any other purpose connected therewith, and the said fund shall be administered and utilised in the manner as may be specified by the Central Government.

88C. Regional Air Connectivity Levy.-In order to fund the Regional Air Connectivity Fund, the Central Government may impose a levy on scheduled flights being operated within India at such rates as the Central Government may notify from time to time having regard to the seating capacity of the aircraft used for the scheduled flights and the routes on which such flights are operated and the overall requirement of Regional Air Connectivity Fund.

(2) Contributions to the Regional Air Connectivity Fund may also be made by the beneficiary State Governments in the manner and proportion as may be specified by the Central Government.

(3) Contribution to the Regional Air Connectivity Fund may also be made by crediting proceeds from any other source as may be specified by the Central Government.

Explanation. For the purposes of rules 88B and 88C, the expression “Regional Air Connectivity” shall mean operation of an air transport service between any two airports in India of which at least one has been declared by the Central Government as unserved or under-served.”.

[F.No. AV.11012/8/2016-A]

ARUN KUMAR, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette vide notification number V-26, dated 23rd March, 1937 and were last amended vide number G.S.R. 977 (E), dated the 5th October, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 8th October, 2016.